अनुष्का हत्याकांड को लेकर विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

दौराला क्षेत्र के चिरौड़ी गांव में मृतक कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का के पीड़ित स्वजन को सांत्वना देने पहुंचे पूर्व विधायक संगीत सोम, साथ में बैठे ग्रामीण • श्री राजन

अनुष्का के जीते मेडल और प्रमाण पत्र को दिखाते पीड़ित पिता • जागरण

जागरण संवाददाता, मेरठ : राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मंगलवार को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व आजाद समाज पार्टी (आसपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट कर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

मंगलवार सुबह से ही दौराला के गांव चिरौड़ी में राजनीतिक दल के नेताओं का आना-जाना शुरू हो गया। पूर्व विधायक संगीत सोम ने पीड़ित स्वजन को सांत्वना देते हुए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष हरवीर पाल ने कहा, पूरे मामले में इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा व चौकी प्रभारी की भूमिका सही नहीं है। उन्होंने लापरवाही की सारी सीमाएं पार कर दीं। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी जाएगी। वह बुधवार को लेकर एसएसपी अविनाश पांडेय से मिलेंगे और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डा. हिमानी अग्रवाल ने भी अनुष्का के स्वजन से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने पिता नेमपाल को भरोसा दिलाया कि परिवार को न्याय दिलाने और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी।

पुलिस के पर्दाफाश पर स्वजन ने उठाए सवाल : अनुष्का हत्याकांड में पुलिस के पर्दाफाश कर आरोपित की गिरफ्तारी के बाद भी स्वजन और ग्रामीणों की शंकाएं समाप्त नहीं हुई हैं। मंगलवार को चिरौड़ी गांव में अनुष्का के घर पर हुई बैठक में पीड़ित परिवार व ग्रामीणों ने पुलिस जांच, शव की शिनाख्त और मामले की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठाए। ग्रामीणों ने साक्ष्य सार्वजनिक किए जाने और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। वहीं स्वजन का कहना था कि पुलिस ने केवल मोबाइल के आधार पर शव की शिनाख्त की है। अब तक उन्हें ऐसे ठोस प्रमाण नहीं दिखाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बरामद शव अनुष्का का है। यदि जांच के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हुए, तो आरोपित न्यायालय में अपने बयान से मुकर सकता है। बैठक में निर्णय लिया कि ग्रामीण सामूहिक रूप से एसएसपी से मिलकर निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच की मांग करेंगे।

एसपी सिटी विनायक भोसले का कहना है कि डीएनए जांच के लिए बुधवार को माता-पिता के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे।

एक्स पर नेताओं के पोस्ट

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लिखा, बेस्ट यूपी में पैरा एथलीट विपिन त्यागी की हत्या, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या, सूर्य चौहान और एक ज्वैलरी व्यापारी की हत्या... उप्र की कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का प्रतीक है। 'गृह' नामक कोई मंत्रालय यूपी में है क्या, या अपराधियों के दुस्साहस को देखकर अंतर्ध्यान हो गया है।

पूर्व सीएम मायावती ने लिखा, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या की खबर अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक है। यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है। सरकार इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करे, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

सांसद चंद्रशेखर ने लिखा, अनुष्का पाल की निर्मम हत्या अत्यंत दुखद, भयावह और झकझोर देने वाली घटना है। पीड़ित परिवार के 33 दिन तक चौकी के चक्कर काटने पर भी पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की तबादला प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप

- सालों से एक जगह जमे अधिकारियों को नजदीकी जिले में भेजा, जबकि कई का दूरदराज किया तबादला
- समान नीति नहीं अपनाने से कई डाक्टरों में असंतोष, जल्द मुख्यमंत्री से लगाएंगे न्याय की गुहार

मेरठ (वि.) : निदेशालय स्तर पर अभी हाल ही में हुए होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाया गया है। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि जो चिकित्सा अधिकारी पिछले 16 साल से एक ही डिस्पेंसरी पर काम रहे हैं, उनका तबादला वर्तमान मंडल में ही उनकी सुविधानुसार नजदीक के जिले में किया गया है, जबकि अन्य चिकित्सा अधिकारियों को दूरदराज के मंडलों और जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस भेदभाव के कारण कई चिकित्सा अधिकारियों को दूर के मंडलों में जाने में अत्यधिक असुविधा हो रही है। इससे सबसे अधिक परेशानी महिला चिकित्सकों को होगी। इस फैसले से नाराज कुछ डाक्टर का कहना है कि समान नीति अपनाते हुए, समस्त चिकित्सा अधिकारियों को नजदीक के जिलों व वर्तमान मंडल में ही स्थानांतरित करना चाहिए था। इसी लेकर होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों में भारी असंतोष है। उन्होंने इस मामले में जल्द ही मुख्यमंत्री योगी से मिलकर गुहार लगाने की बात कही है।

रजवाहे में पलटे ट्रक से सीमेंट के 200 बोरे चालक ने बेचे

जासं, मेरठ : बुलंदशहर के थाना शिकारपुर के गांव बसाल निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि शनिवार को उनके ट्रक में सामानी के लिए 200 बोरे सीमेंट भरवाए थे। ट्रक चालक रमेश निवासी हजरतपुर छुट्टी व हेल्पर राहुल ट्रक लेकर निकले थे। रात में बिजली बंबा बाईपास पर होटल अरोमा रिसॉर्ट के पास ट्रक रजवाहे में पलट गया। आरोप है कि चालक ने ट्रक पलटने की जानकारी नहीं दी। मंगलवार को पता चला कि चालक ने सीमेंट के सभी बोरे बेच दिए। चालक से पूछताछ की तो गाली गलौज कर दी। थाना प्रभारी सुमित तोमर ने कहा कि तहरीर पर जांच की जा रही है।

ई-फाइलिंग सेंटर का मेरठ को नहीं मिला लाभ

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से दिल्ली में उनके कार्यालय में वार्ता करते राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी • सौजन्य स्वयं

मेरठ (वि.) : राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सोमवार शाम को उनके आवास पर तथा मंगलवार को कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में मुलाकात करके ई फाइलिंग सेंटर की समस्या के समाधान की मांग की।

राज्यसभा सदस्य ने बताया कि उनकी यह मुलाकात विभाग के सचिव नीरज वर्मा और सचिव राजीव मित्तल की मौजूदगी में हुई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि केंद्र सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों की कचहरी में ई फाइलिंग सेंटर खोले गए। इनका उद्देश्य अपने जनपद से हाई कोर्ट में केस फाइल करने तथा उनकी आनलाइन सुनवाई की सुविधा प्रदान करना था। लेकिन मेरठ में इसका लाभ जनता को नहीं मिल सका। आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के एक प्रशासनिक आदेश ने भारत सरकार समेत सभी संबंधित अधिकारियों के प्रयास को विफल कर दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस समस्या के समाधान की मांग की।

डा. बाजपेयी ने बताया कि मंत्री के निर्देश पर विभागीय सचिव ने इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर भी चर्चा की गई।

सलमानी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी, सीएम से कार्रवाई मांग

जासं, मेरठ : इंटरनेट मीडिया पर सलमानी समाज के खिलाफ जातिसूचक और अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने का मामला सामने आया है। सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित शिकायती पत्र प्रेषित की दिया है। उन्होंने आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सलाउद्दीन सलमानी के नेतृत्व में समाज के कई लोग कलक्ट्रेट पर पहुंचे। ज्ञापन की दिए ज्ञापन में कहा गया है कि सलमानी समाज का पारंपरिक व्यवसाय बाल काटने और उससे संबंधित कार्यों से जुड़ा है। आरोप है कि एक व्यक्ति इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर सक्रिय रहते हुए समाज और उनके पारंपरिक व्यवसाय को लेकर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है। पदाधिकारियों की मांग है कि सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए।

मुसीबत से बचाने को क्या कर रही सरकार, हर जुबां पर यही सवाल

शास्त्रीनगर में दोनों स्थानों पर जारी रहा महिलाओं का धरना

जासं, मेरठ : शास्त्रीनगर में आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण के विरुद्ध शुरू हुई कार्रवाई यहां बने छोटे मकानों में सेटबैक का स्थान खाली करने पर जा टिकी है। इसके विरोध में सेक्टर दो तथा गोल मंदिर के पास महिलाओं का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। परेशान लोगों को सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी और अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि प्रदेश सरकार उनकी हरसंभव सहायता करने के लिए प्रयासरत है लेकिन सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इससे आवंटियों की चिंता और बढ़ रही है।

सेक्टर दो में धरनारत महिलाओं ने सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिनभर भजन-कीर्तन चला। गोल मंदिर के पास सेक्टर तीन और चार की महिलाओं के धरने में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसमें पुरुष भी शामिल रहे। दोनों स्थानों की महिलाओं ने कहा कि सरकार बताए तो सही कि उन्हें मुसीबत से बचाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। उधर, आवास विकास के अधिकारी 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान दी जाने वाली अनुपालन आख्या की तैयारी में जुटे हैं। 815 आवंटियों को सेटबैक और व्यावसायिक निर्माण हटाने के नोटिस दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, 300 से ज्यादा भवनों में अवैध हिस्से को हटाकर सेटबैक का स्थान खाली करने तथा व्यावसायिक निर्माण को तोड़ने का काम चल रहा है।

शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण आवास विकास के विरोध में शास्त्री नगर सेक्टर 3 4 की महिलाएं धरने पर बैठी सुंदरकांड का पाठ करतीं • जागरण

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना
E-Auction के आधार पर

परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति प्रबंधन, पीएनबी भवन सी 01 वेद्व व्यास पुरी, दिल्ली बाईपास रोड, मेरठ– 250002, ई–मेलः **cs8278@pnb.bank.in**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 6 (2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

इसके द्वारा सामान्य जनसाधारण को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में बंधक/चार्ज की गई है तथा जिसकी निर्मित/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर विक्रय किया जाएगा। यह विक्रय संबंधित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के बकाया देयकों की वसूली हेतु किया जा रहा है। संबंधित संपत्तियों के लिए आरक्षित मूल्य तथा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	शाखा/खाता/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण दृष्टिबंधक/प्रभार/बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधककर्ता)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धार 13 (2) के तहत मांग सूचना (सी) दिनांक 30.05.2026 तक शेष राशि (डी) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(4) की तिथि (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/दिनांक / सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
1	<u>शाखाः ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ</u> श्री सत्येंद्र प्रकाश सिंघल **(ऋणी एवं बंधककर्ता)**, पताः 90, आनंदपुरी, रेलवे रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250002। श्रीमती मीनाक्षी सिंघल **(सह-ऋणी)**, पताः 90, आनंदपुरी, रेलवे रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250002।	बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व भूखंड, प्लॉट संख्या 18 और 19, खसरा नंबर 128 पर निर्मित, जिसका क्षेत्रफल 429.76 वर्ग मीटर है, जो अनूप नगर फजलपुर, परगना तहसील व जिला मेरठ में स्थित है। यह संपत्ति सत्येंद्र कुमार सिंघल के नाम पर है। सीमाएं निम्न प्रकार हैंः पूर्वः 66 फीट 2 इंच / अन्य का मकान, पश्चिमः 66 फीट / 16 फीट चौड़ा आम रास्ता, उत्तरः 69 फीट 9 इंच / प्लॉट संख्या 20, दक्षिणः 70 फीट 3 इंच / अन्य का मकान	(क) 26.09.2022 (ख) रू0 57,19,280.07 प्रभावी ब्याज दिनांक 01.09.2022 + कानूनी एवं अन्य खर्चे (ग) रू0 **87,67,866.45** + ब्याज दिनांक 30.05.2026 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2026 तक (घ) 12.12.2022 (ड.) भौतिक कब्जा	रू0 103.00 लाख रू0 10.30 लाख रू0 1.00 लाख	**23.06.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **22.06.2026**	ज्ञात नहीं
	***सत्येन्द्र प्रकाश सिंघल ने प्लॉट संख्या 18 पर निर्मित आवासीय संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 27.02.2022 को श्रीमती मन्दरेश पत्नी श्री विजयवीर के पक्ष में बैंक द्वारा बंधक सृजन के पश्चात धोखाधड़ीपूर्वक निष्पादित किया है। उक्त संपत्ति, जिसके लिए बैंक में बंधक बनाया गया था, सत्येन्द्र प्रकाश सिंघल द्वारा खसरा संख्या 18 एवं 19 दोनों पर निर्मित की गई थी। बैंक पूरी बिल्डिंग बेच रहा है।**					
2	<u>शाखाः बागपत रोड, मेरठ</u> मैसर्स अकबर डेयरी **(ऋणी)**, 906, खसरा संख्या 2722 एमआई का भाग, ग्राम- सरधना यू.ए.जेड.ए., कालंद रोड, छावनी, तहसील- सरधना, जनपद- मेरठ- 250342, मोहम्मद अकबर पुत्र श्री हबीब **(प्रोप्राइटर/बंधककर्ता)**, पता- 1: 115, मोहल्ला घोसियान, तहसील- सरधना, जनपद- मेरठ- 250342, पता-2: 147, मोहल्ला घोसियान, तहसील- सरधना, जनपद- मेरठ- 250342, मुन्ना चौधरी **(गारन्टर)**, पुत्र श्री हबीब चौधरी, निवासी- 147, घोसियान, सरधना, जनपद- मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250342	बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व भूखंड, म्यूनिसिपल नं. 906, खसरा संख्या 2722 एम.आई. एवं 2723 एम.आई., ग्राम- सरधना, कालंद रोड, छावनी, तहसील- सरधना, जनपद- मेरठ, कुल क्षेत्रफल 1601 वर्ग मीटर, जो मोहम्मद अकबर पुत्र श्री हबीब के नाम दर्ज है। सीमाएं इस प्रकार हैंः पूर्वः 214 फुट/ गैलरी अकबर, पश्चिमः 228 फुट/ घेर मे, उत्तरः 78 फुट/ शाहिद की संपत्ति, दक्षिणः 78 फुट/ श्मशान रोड	(ए) 12.12.2022 (बी) रू0 1,40,21,713.17 + ब्याज दिनांक 01.12.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 1,65,39,551.87 + ब्याज दिनांक 30.05.2026 + कानूनी एवं खर्चे एनपीए के बार (डी) 01.03.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 198.00 लाख रू0 19.80 लाख रू0 2.00 लाख	**23.06.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **22.06.2026**	**S.A. No. 150/2026 at DRT Lucknow**
3	<u>शाखाः मंगल पांडेय नगर, मेरठ</u> मैसर्स श्री वैदिक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट पताः बी-170, पल्लवपुरम फेस-1, मोदीपुरम मेरठ, उ0प्र0- 250110, पता 2: खसरा नं0 148, 149 एवं 150/5, ग्राम- खेड़ी कलां, तहसील- सरधना, जिला- मेरठ। श्री राजीव कुमार पुत्र विक्रम सिंह (गारन्टर), पताः मकान नं0 बी-170, पल्लवपुरम फेस-1, मोदीपुरम, मेरठ- 250110, श्रीमती नीतू तोमर पत्नी श्री संजीव तोमर **(गारन्टर)**, निवासी- मकान नं. बी-170, पल्लवपुरम फेज-I, मोदीपुरम, मेरठ- 250110, श्री संजीव तोमर पुत्र श्री ईश्वर सिंह **(ट्रस्टी)**, निवासी- मकान नं. बी-170, पल्लवपुरम फेज-I, मोदीपुरम, मेरठ- 250110	बंधक स्कूल भूमि एवं भवन, जो खसरा संख्या 148, 149 एवं 150/5, ग्राम खेड़ी कलां, परगना एवं तहसील सरधना में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1949 वर्ग मीटर है, तथा जो महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एजुकेशन (श्री वैदिक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित) के नाम पर है। उक्त संपत्ति विक्रय विलेख दिनांक 28.12.2012 के अनुसार उप-पंजीयक, सरधना कार्यालय में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 4800, पृष्ठ संख्या 295 से 300, क्रम संख्या 19305 पर पंजीकृत है। बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता के अनुसार संपत्ति की सीमाएं निम्नवत हैंः पूर्वः आर्यन कॉलेज की भूमि, पश्चिमः श्री वैदिक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की भूमि, उत्तरः श्री वैदिक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के शैक्षणिक भवन का भाग, दक्षिणः सरधना-बड़ौत रोड।	(ए) 23.04.2025 (बी) रू0 1,64,04,285.64 + ब्याज दिनांक 31.03.2025 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (पूर्ण भुगतान होने तक) (सी) रू0 1,87,59,718.95 + ब्याज दिनांक 30.05.2026 शुल्क से + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (डी) 15.07.2025 (ई) सांकेतिक	रू0 230.00 लाख रू0 23.00 लाख रू0 2.30 लाख	**23.06.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **22.06.2026**	**SA No. 718/ 2023 at DRT Lucknow**
4	<u>शाखाः बागपत रोड, मेरठ</u> मैसर्स सेन्सन हाउस प्राइवेट लिमिटेड, पताः 9जी, ट्रासपोर्ट नगर पलक कॉपी वाले के पास, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250001, श्री सुधीर कुमार जेन पुत्र महेन्द्र सेन जैन **(डायरेक्टर + गारन्टर)**, पताः मकान नं0 13ए, बीच वाली गली, जैन नगर रेलवे रोड, मेरठ- 250002, श्रीमती अंजु जैन पत्नी श्री सुधीर कुमार जैन **(डायरेक्टर + गारन्टर)**, पताः मकान नं0 13ए, बीच वाली गली, जैन नगर रेलवे रोड, मेरठ- 250002, श्री मोहित जैन पुत्र श्री सुधीर कुमार जैन **(डायरेक्टर + गारन्टर)**, पताः मकान नं0 13ए, बीच वाली गली, जेन नगर, रेलवे रोड, मेरठ- 250002, श्रीमती अंशु जैन **(गारन्टर)**, पताः मकान नं0 13ए, बीच वाली गली, जैन नगर, रेलवे रोड, मेरठ- 250002, श्री दीपक जैन पुत्र श्री रामेन्द्र जैन **(गारन्टर)**, मकान नं0 13ए, बीच वाली गली, जैन नगर, रेलवे रोड, मेरठ-250002, श्री रविन्द्र कुमार राघव **(बंधककर्ता एवं गारन्टर)**, पताः 34/3, विद्या नगर सेक्टर- 3, शास्त्री नगर, मेरठ- 250004	**सम्पत्ति सं0-1: (ए)** बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति के सभी भाग व भूखंड स्थित 73/7 (विक्रय विलेख नं0 पुस्तक नं0 1, खंड नं0 2435, क्र0सं0 2836, दिनांक 20.04.2004, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस-3, मेरठ), माप क्षेत्रफल 182.00 वर्ग मीटर एवं (बी) 73/8 (विक्रय विलेख नं0 पुस्तक नं0 1, खंड नं0 2435, क्र0सं0 2833, दिनांक 20.04.2004, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस-3, मेरठ) स्कीम नं0 2 माप क्षेत्रफल 180.90 वर्ग मीटर, ट्रासपोर्ट नगर, परगना तहसील एवं जिला- मेरठ (उ0प्र0) संयुक्त माप 362.90 वर्ग मीटर। सम्पत्ति स्वामी श्री सुधीर कुमार जैन पुत्र श्री महेन्द्र सैन जैन। **नोटः सम्पत्ति 1 को ऋणी ने ऊपर बताई गई सम्पत्ति ए और बी को मिलाकर एक बिल्डिंग में बदल दिया है। हम इस मिली-जुली सम्पत्ति को ई-नीलामी के लिए रख रहे हैं।** **सम्पत्ति सं0-2:** बंधक आवासीय मकान के सभी भाग व भूखंड, स्थित नगर निगम नं0 299, खसरा नं0 16/3 का भाग, ग्राम- हाफीजाबाद मेवला, निकट गली नं0 2, गुप्ता कॉलोनी, मेरठ (उ0प्र0), कुल कवर्ड क्षेत्रफल 330.60 वर्ग मीटर अर्थात् 165.30 वर्ग मीटर भूतल एवं 165.30 वर्ग मीटर प्रथम तल, सम्पत्ति स्वामी श्री दीपक जैन एवं श्री रविन्द्र कुमार राघव। **नोटः- नगर निगम का बकाया होने के कारण नगर निगम ने मकान सील कर दिया है।**	(ए) 10.11.2022 (बी) रू0 5,18,65,098.87 + ब्याज दिनांक 01.11.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 8,66,08,384.12+ ब्याज दिनांक 30.05.2026 + कानूनी एवं अन्य खर्चे एनपीए के बाद (डी) 23.01.2023 (ई) सांकेतिक कब्जा	**सम्पत्ति नं0 1** रू0 292.00 लाख रू0 29.20 लाख रू0 3.00 लाख **सम्पत्ति नं0 2** रू0 73.00 लाख रू0 7.30 लाख रू0 1.00 लाख	**23.06.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **22.06.2026**	**SA/1134/ 2025 DRT Lucknow**
5	<u>शाखाः जीमखाना, मेरठ (181900)</u> श्री रोहित कुमार, पुत्र श्री रमेश चंद **(उधारकर्ता)**, पताः मकान संख्या 291/5, भारत विहार कॉलोनी, मोदीपुरम, मेरठ-250110। श्री रमेश चंद, पुत्र श्री हरज्ञान **(सह-उधारकर्ता एवं बंधककर्ता)**, पताः मकान संख्या 291/5, भारत विहार कॉलोनी, मोदीपुरम, मेरठ - 250110।	बंधक आवासीय मकान संख्या 291, स्थित भारत विहार कॉलोनी, मुकर्रबपुर पल्हेड़ा, मोदीपुरम, परगना दौराला, तहसील- सरधना, जिला-मेरठ, उत्तर प्रदेश जो श्री रमेश चंद पुत्र श्री हरज्ञान के स्वामित्व में है, जिसका क्षेत्रफल 121.48 वर्ग मीटर है। सीमाएँ इस प्रकार हैंः- पूर्वः 18.5 फीट, तत्पश्चात् मोदी की संपत्ति, पश्चिमः 18.80 फीट, तत्पश्चात् 20 फीट चौड़ी सड़क। उत्तरः 70.50 फीट, तत्पश्चात् श्री धर्मवीर का मकान। दक्षिणः 70 फीट, तत्पश्चात् श्री जे. के. सक्सेना का प्लॉट।	(ए) 02.03.2022 (बी) रू0 35,64,735.70 + ब्याज दिनांक 01.01.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 57,17,211.40 + ब्याज दिनांक 30.05.2026 + कानूनी एवं खर्चे एनपीए के बार (डी) 27.05.2022 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 48.50 लाख रू0 4.85 लाख रू0 0.50 लाख	**23.06.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **22.06.2026**	ज्ञात नहीं
6	<u>शाखाः मेरठ कैंट, मेरठ (ई-ओबीसी) (001710)</u> मैसर्स शिवा शास्त्रागर **(उधारकर्ता)**, पता 1: 304/2, पी. एल. शर्मा रोड, मेरठ- 250001। पता 2: 298/5, नया संख्या 384, पी. एल. शर्मा रोड, मेरठ। श्री शैलेन्द्र सिंह, पुत्र श्री राजपाल सिंह **(पार्टनर)**, पता 1: 114/ए, करियप्पा स्ट्रीट, मेरठ कैंट- 250002। पता 2: 73, रॉयल होटल, द मॉल रोड, मेरठ कैंट- 250002। श्री विपिन शर्मा, पुत्र श्री सतेंद्र शर्मा **(पार्टनर एवं बंधककर्ता)**, पताः 23, रॉयल होटल, द मॉल रोड, मेरठ कैंट- 250002।	बंधक व्यावसायिक बिल्डिंग संख्या 298/5, नया संख्या 384 (ग्राउंड फ्लोर) के सभी भाग व भूखंड, स्थित पी. एल. शर्मा रोड, मेरठ। जिसका क्षेत्रफल 8.91 वर्ग मीटर है, जो श्री विपिन कुमार के नाम पर है। सीमाएँः पूर्वः अशोक रस्तोगी की दुकान, पश्चिमः महेश चंद जैन की संपत्ति, उत्तरः अशोक रस्तोगी की दुकान, दक्षिणः पी. एल. शर्मा रोड।	(ए) 19.02.2022 (बी) रू0 43,01,264.59 + ब्याज दिनांक 01.02.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे (सी) रू0 55,27,811.54 + ब्याज दिनांक 30.05.2026 + कानूनी एवं खर्चे एनपीए के बार (डी) 24.05.2022 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 49.00 लाख रू0 4.90 लाख रू0 0.50 लाख	**23.06.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **22.06.2026**	ज्ञात नहीं
7	<u>शाखाः स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स, मेरठ</u> 1. मैसर्स बायारो लाइफ साईस लिमिटेड (डायरेक्टर द्वारा) (ऋणी + बंधककर्ता), पता 1. पंजीकृत ऑफिस 11, दिव्य ज्योति लेक, बई अपार्टमेंट, सिंगसंद्रा, नेक्सट बेगुर लेक, बैंगलौर- 560006, ई-मेलः info@biorowlife.com, वेबसाइट- www.biorow.us, पताः 2. 501/1, केसरू बक्सर, मवाना रोड, मेरठ (उ.प्र.), पता 3: 79, विजय नगर मेरठ, उ0प्र0- 250001, 2. श्रीमती कुसुम लता त्यागी **(डायरेक्टर + बंधककर्ता + गारन्टर)**, पताः ए-44 पॉकेट-ए, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ, 3. श्रीमती छाया त्यागी (डायरेक्टर + गारन्टर), पताः ए-44 पॉकेट-ए, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ, 4. श्रीमती शिवानी गर्ग पत्नी विनीत गर्ग, **(डायरेक्टर + बंधककर्ता + गारन्टर)**, पताः रशीद नगर, लिसाड़ी रोड, मेरठ उ.प्र. 5. श्रीमती रूपा गुप्ता **(डायरेक्टर/गारन्टर)**, पताः 89 न्यू 162, ग्राम शोभापुर, रोहटा रोड, मेरठ- 250002	बंधक एक आवासीय मकान म्यूनिसिपल नं0 ए-44 पर निर्मित एक आवासीय एचआईजी प्लॉट नं0 44, माप क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, स्थित पॉकेट-ए, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती कुसुम लता त्यागी पत्नी रामेश्वर दयाल त्यागी।	(ए) 21.06.2022 (बी) रू0 1,74,28,574.34 + ब्याज दिनांक 01.06.2022 से + अन्य खर्चे (सी) रू0 2,87,20,374.02 + ब्याज दिनांक 30.05.2026 शुल्क एवं खर्चे (डी) 05.09.2022 (ई) सांकेतिक कब्जा	रू0 167.00 लाख रू0 16.70 लाख रू0 1.67 लाख	**23.06.2026** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक **22.06.2026**	**SA No. 569/2023 In DRT Lucknow**

विक्रय सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम, 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन होगा तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगीः-

1. संपत्तियों का विक्रय ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जाएगा।
2. उपरोक्त अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, तथापि इस घोषणा में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण अथवा चूक के लिए प्राधिंत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. विक्रय, अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी मंच के माध्यम से www.pnbindia.in एवं https://baanknet.in वेबसाइट पर दिनांक 23.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक किया जाएगा।
4. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को आरक्षित मूल्य से कम से कम एक बोली अधिक लगाना अनिवार्य होगा।
5. विक्रय की विस्तृत शर्तों एवं नियमों के लिए कृपया www.pnbindia.in एवं https://baanknet.com वेबसाइट देखें।

हस्ताक्षरित-
श्री विकास कुमार
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक

दिनांकः 02.06.2026 स्थान – मेरठ प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार